

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी (उत्तर), बीकानेर
संख्या - एसडीओ/बीका/संपरिवर्तन/06 दिनांक -

संपरिवर्तन आदेश

गुरुकुल वीएलमोहता जलिंग इस्टीमेट, सीधल में आवदन पर सरकारी जमींदारी अभिलेख में भारत कृषि भूमि का राजस्व भू-राजस्व (कृषि) क्षेत्र में कृषि भूमि का अकृषिक प्रयोजन के लिए संपरिवर्तन नियम 1992 के नियम 8(2), 8(3) के अन्तर्गत अकृषिक प्रयोजन में लिए इसका द्वारा संपरिवर्तन किया जाता है जिसकी विशिष्टता नीचे दी गयी है -



1	आवेदक खातदार/अभिधारी का नाम, पिता/पति का नाम तथा पूरा पत्ता	गुरुकुल वीएलमोहता जलिंग, इस्टीमेट, सीधल
2	क्या आवेदक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति का सदस्य है	नहीं
3	संपरिवर्तित भूमि का ब्यांश	
क	ग्राम/ग्राम पंचायत, तहसील का नाम	ग्राम राधापंचायत तहसील
ख	भूमि का ख.न. और प्रत्येक ख.न. का क्षेत्रफल (हैक्टर में)	खसरा नम्बर 536 तादावी 2*38 हैक्टर धारानी
ग	प्रत्येक खसरा नम्बर के क्षेत्रफल को उपदर्शित करते हुए संपरिवर्तन क्षेत्रफल (हैक्टर या वर्ग मीटर में)	खसरा नम्बर 536 तादावी 2*38 हैक्टर धारानी में से 5000 'E वर्गमीटर
4	टिप्पणी अकृषिक प्रयोजन के लिए संपरिवर्तित भूमि को दर्शाते हुए, राजस्व नक्शे के सुसंगत भाग की सम्यक रूप से सत्यापित प्रति संलग्न है	
5	संपरिवर्तन का प्रयोजन	वाणिज्यिक (शिक्षण संस्थान)
6	संदेय प्रॉनियम की दर	200 बनी तक 4/- प्र.बनी 201 से 2000 बनी तक 8/- प्र.बनी 2001 से अधिक के लिए 16/- प्र.बनी
7	वालान की संख्या तथा दिनांक सहित जमा कराई गई प्रीमियम की रकम	चास जमा दि राशि नट - 31.5.06 2531/- 0029 5.8.06 36557/- म-राजस्व - 31.5.06 2531/- पीडीखता- 5.8.06 36557/-
8	वालान की सं. तथा तारीख सहित शारित यदि कोई हो, की जमा कराई गई रकम	शून्य
9	वालान की सं. तथा तारीख सहित यदि कोई हो, की जमा कराई गई रकम	शून्य
10	अन्य विशिष्टियां, यदि कोई हो	शून्य

आवेदक/आधिकारी प्रमाणित
मुख्य प्रागुवादक अधिकारी

OLD COPY ATTACHED
CENTRAL NOTARY
BIKANER (RA)

For "Gurukul" B. L. Mohata
Learning in

President

1. उपर्युक्त संपरिवर्तन आदेश निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा -

1. उपर्युक्त अकृषिक प्रयोजन के लिए संपरिवर्तन भूमि का उपयोग विहित प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किए बिना किसी अन्य उपयोग के लिए नहीं किया जाएगा।
2. यदि आवेदक इस आदेश के जारी होने की तारीख से 2 वर्ष की कालावधि के भीतर संपरिवर्तन प्रयोजन के लिए भूमि का उपयोग करने के विफल रहता है, तो अनुज्ञा प्रत्याहृत कर ली जायेगी और आवेदक द्वारा जमा कराया गया प्रीमियम धन भी समपूत हो जायेगा।
3. नियम-4 में यथा वर्णित भूमि का उपयोग अकृषिक प्रयोजन के लिए ही किया जाएगा।
4. लोकोपयोगी प्रयोजन के लिए संपरिवर्तन भूमि के किसी भाग का अन्य किसी अकृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग विहित प्राधिकारी के विधिमान्य अनुज्ञा प्राप्त किए बिना नहीं किया जायेगा।



उपखण्ड अधिकारी
(उत्तर) बीकानेर

क्रमांक- एसडीओ/बीका/संपरिवर्तन/08/535
प्रतिलिपि-

दिनांक- 12-6-06

1. जिला कलेक्टर महादेव, बीकानेर
2. नहंसीलदार (राजस्व), बीकानेर
3. सरपंच, ग्राम पंचायत, सीथल
4. आवेदक गुरुकुल बीएल.मोहता लर्निंग इंस्टीट्यूट, सीथल

उपखण्ड अधिकारी
(उत्तर) बीकानेर

निकासा अधिकारी प्रभार
राजकीय ग्रामबंद के निकासाध्यक्ष



For "Gurukul" B. L. Mohata
Learning Institute

President

For "Gurukul" B. L. Mohata
Learning Institute

For "Gurukul" B. L. Mohata
Learning Institute

President

12-6-17

प्राचार्य
डूंगर महाविद्यालय
बीकानेर

कार्यालय सहायक अभियन्ता सा.नि.वि. जिला उपखण्ड-1, बीकानेर

क्रमांक : 173

दिनांक : 31/5/17

श्रीमान PRINCIPAL.....

Gurukul B.L. Mohan

Mahila Mahavechha Senihal

विषय :- भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र वर्ष 2017-18 के लिए।

महोदय,

प्रमाणित नक्शे में दर्शाए गए स्कूल भवन का निरीक्षण करने पर भवन के कमरे उपयोग हेतु सुरक्षित पाए गए हैं।

अतः सुरक्षा प्रमाण पत्र निम्न शर्तों पर जारी किया जाता है :-

1. भवन में नया निर्माण कार्य करने पर विभाग को तुरन्त सूचना दी जाए।
2. भवन की छत अथवा दीवार में त्रुटि या दरार दृष्टिगत होने पर विभाग को सूचना दी जाए।
3. बरसात से पहले प्रारम्भिक सुरक्षा के समस्त उपाय करने की जिम्मेवारी संस्था की होगी।
4. भवन का संरचनात्मक विवरण उपलब्ध नहीं होने पर संरचना की आन्तरिक सामर्थ्य सुनिश्चित नहीं की जा सकती है।
5. भवन के प्रत्येक तल पर अग्निशमक यंत्र लगाकर इस कार्यालय को सूचित करें।
6. यह प्रमाण पत्र वर्ष 2017-18 के लिए ही मान्य होगा।
7. सुरक्षा प्रमाण पत्र प्रति वर्ष लेना अनिवार्य है।
8. उक्त शर्तों की अवहेलना करने पर यह प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त माना जावेगा।
9. बिजली फिटिंग व पंखों के हुकों की जांच समय समय पर विद्यालय द्वारा करवायी जाए।
10. प्रमाण पत्र दिनांक 31.3.2018 तक ही वैध है।

संलग्न :- ब्ल्यू प्रिन्ट की प्रति

भवदीय


सहायक अभियन्ता

सा.नि.वि. जिला उपखण्ड-1, बीकानेर

दिनांक :

क्रमांक :

प्रतिलिपि अधिशाषी अभियन्ता सानिदि जिला खण्ड प्रथम बीकानेर को प्रस्तुत है।

संलग्न :- बैंकर चैक एसबीबीजे 71289841.1.5.17

₹ 1.000/-

सहायक अभियन्ता

सा.नि.वि. जिला उपखण्ड-1, बीकानेर